

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला - उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां RAS

GCMS प्रकरण संख्या 2021/868

प्रकरण संख्या : 525/21

वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अनवान

श्री मोहनलाल

बनाम

श्रीमती धापू

उनवान

1- श्री मोहन लाल पिता स्व. श्री चेनाजी सुधार निवासी- खेरोदा तहसील - भीण्डर जिला- उदयपुर (राज.). के बजाय।

1/1. पार्वतीदेवी पत्नि स्व. श्री मोहनलाल जाति, सुथार निवासी खेरोदा, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।

1/2. प्रमिला पुत्री स्व. श्री मोहनलाल जाति, सुथार निवासी खेरोदा, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।

1/3. हेमलता पुत्री स्व. श्री मोहनलाल जाति, सुथार निवासी खेरोदा, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।

1/4. पुष्पा पुत्री स्व. श्री मोहनलाल जाति, सुथार निवासी खेरोदा, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।

1/5. पंकज पुत्री स्व. श्री मोहनलाल जाति, सुथार निवासी खेरोदा, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।

1/6. निर्मला पुत्री स्व. श्री मोहनलाल जाति, सुथार निवासी खेरोदा, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।

1/7. नीरज पुत्र स्व. श्री मोहनलाल जाति, सुथार निवासी खेरोदा, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।

2- श्री लाभचन्द्र पिता स्व. श्री चेनाजी सुथार निवासी खेरोदा तहसील- भीण्डर जिला- उदयपुर (राज.)

3- श्री गोविन्द पिता स्व. श्री चेनाजी सुथार निवासी- खेरोदा तहसील - भीण्डर जिला- उदयपुर (राज.).।

4- श्री राजेन्द्र पिता स्व. श्री कजोडीमल जी सुथार निवासी- खेरोदा तहसील - भीण्डर जिला- उदयपुर (राज.).।

5- श्री नरेन्द्र पिता स्व श्री कजोडीमल जी सुथार निवासी- खेरोदा तहसील - भीण्डर जिला- उदयपुर (राज.).।



सहायक कलक्टर
भीण्डर

6- श्रीमती भूरीबाई पत्नि स्वश्री कजोडीमल जी सुधार निवासी- खेरोदा तहसील- भीण्डर जिला- उदयपुर (राज.)।

बनाम

- 1- श्रीमती धापू पिता स्व. श्री चेनाजी पत्नि श्री मांगीलाल जी सुधार निवासी- चांयवा खेडा तहसील मावली जिला- उदयपुर (राज.)।
- 2- श्री चन्द्रप्रकाश पिता श्री संपतलाल जी सुधार निवासी कानोड तहसील- कानोड जिला- उदयपुर (राज.) उदयपुर (राज.)।
- 3- श्री मदनलाल पिता श्री संपतलाल जी सुधार निवासी कानोड तहसील- कानोड जिला- उदयपुर (राज.) उदयपुर (राज.)।
- 4- श्री संजय पिता श्री संपतलाल जी सुधार निवासी कानोड तहसील- कानोड जिला- उदयपुर (राज.) उदयपुर (राज.)।
- 5- श्री हितेश पिता श्री संपतलाल जी सुधार निवासी कानोड तहसील- कानोड जिला- उदयपुर (राज.) उदयपुर (राज.)।
- 6- श्रीमती सुशीला पिता श्री संपतलाल जी पत्नि श्री गुलाबचन्द्र सुधार निवासी करणपुर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज.)।
- 7- श्रीमती ताराकुमारी पिता श्री संपतलाल जी पत्नि श्री मोहनलाल सुधार निवासी सुधारियों का खेडा जिला- चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 8- श्रीमती लीलाकुमारी पिता श्री संपतलाल जी पत्नि श्री जगदीश सुधार निवासी रोहीखेडा तहसील- वल्लभनगर जिला- उदयपुर (राज.)
- 9- श्री उदयलाल पिता श्री रामलाल जणवा आयु- वयस्क निवासी खेरोदा तहसील- भीण्डर जिला- उदयपुर (राज.)
- 10- श्री राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी भीण्डर तहसील- भीण्डर जिला- उदयपुर (राज.)।

• प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी : श्री मुकेश कुमार डांगी
अधिवक्ता प्रतिवादी : श्री प्रवीण पोखरना

निर्णय

दिनांक 29.03.2022

1. वादीगण श्री मोहनलाल, लाभचन्द, गोविन्द पुत्र श्री चेना राजेन्द, नरेन्द्र, पुत्र श्री कजोडीमल एवं श्रीमति भूरीबाई पत्नी स्व. श्री कजोडीमल सुधार निवासी खैरादा, तहसील भीण्डर द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम- खेरोदा पटवार हलका- खेरोदा भू.अभि. निरीक्षक क्षेत्र - खेरोदा तहसील- भीण्डर जिला- उदयपुर (राज.) में स्थित परिशिष्ट (क) में आराजी नम्बर 1231/1 रकबा 0 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 1231/2 00 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 1248 रकबा 12 बिस्वा, 1248 आराजी नम्बर 1251 रकबा 09 बिस्वा आराजी



GAMS संख्या 2021 / 169
प्रकरण संख्या 128 / 27
मोहनलाल कश्यप बीजापूर जिल्हा

GAMS संख्या 2021 / 169
प्रकरण संख्या 128 / 27
मोहनलाल कश्यप बीजापूर जिल्हा

1953 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा . आराजी नम्बर 1957 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा .
कुल किता 06 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा भूमि वर्तमान में मोहनलाल, लाभचन्द, गोविन्द
रतन, धापू पिता चेना 5/6, राजेन्द्र, नरेन्द्र पिता कजोडीमल, भूरीबाई पति कजोडीमल
1/6 सुथार साकिन देह के नाम पर अंकित है। एवं परिशिष्ट (ख) में स्थित आराजी नम्बर 496
क्षेत्रफल 04 बीघा 18 बिस्वा भूमि वर्तमान में मोहनलाल, लाभचन्द, गोविन्द, रतन धापू
पिता चेना 5/12, राजेन्द्र, नरेन्द्र पिता कजोडीमल, भूरीबाई पति कजोडीमल 1/12 सुथार
साकिन देह के नाम पर अंकित है एवं 1 / 2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 के नाम पर अंकित
है। परिशिष्ट (ग) में स्थित आराजी नम्बर 1236 क्षेत्रफल 05 बिस्वा भूमि वर्तमान में
मोहनलाल, लाभचन्द, गोविन्द, रतन, धापू पिता चेना 1/36 राजेन्द्र, नरेन्द्र पिता
कजोडीमल भूरीबाई पति कजोडीमल 1/180 सुथार साकिन देह के नाम पर अंकित है।
उपरोक्त परिशिष्ट (क) में अंकित कुलिया आराजीयात, परिशिष्ट (ख) में अंकित आराजी का
1/2 हिस्सा एवं परिशिष्ट (ग) में अंकित आराजी का 1/30 हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी
संख्या 1 से 8 के मोरूस स्व. श्री चेनाजी के समय से चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि चेनाजी
के मरणोपरान्त उनके विधिक वारिस चारों पुत्र मोहनलाल, लाभचन्द, गोविन्द, कजोडीमल
एवं दोनों पुत्रियां श्रीमती रतन, श्रीमती धापू के नाम पर राजस्व अभिलेख में हिस्से बराबर
से दर्ज हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के मोरूस स्व. श्री चेनाजी के मरणोपरान्त
वादग्रस्त आराजीयात में से चेनाजी की दोनों पुत्रियों श्रीमती रतन एवं श्रीमती धापू ने
अपना-अपना हिस्सा चारों भाई मोहनलाल, लाभचन्द, गोविन्द, कजोडीमल के पक्ष में
हिस्से बराबर से उत्थागित कर दिया, जिससे वादग्रस्त चेनाजी की आराजीयात पर उनके
चारों ही पुत्र मोहनलाल, लाभचन्द, गोविन्द, कजोडीमल हिस्से बराबर से काबिज होकर
काशत करने लग गये। इसके बाद कजोडीमल भी फौत हो गया, जिससे वादग्रस्त
आराजीयात में कजोडीमल के हिस्से पर कजोडीमल के विधिक वारिस वादी संख्या 4 से 6
काबिज होकर काशत कर रहे हैं। परिशिष्ट (क) में अंकित आराजीयात में वादी संख्या 1 का
1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1 / 4 हिस्सा, वादी संख्या
4 से 6 का 1/4 हिस्सा, परिशिष्ट (ख) में अंकित आराजी में वादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा,
वादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 4 से 6 का
1/8 हिस्सा, परिशिष्ट (ग) में अंकित आराजी में वादी संख्या 1 का 1 / 120 हिस्सा, वादी
संख्या 2 का 1/120 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1 / 120 हिस्सा, वादी संख्या 4 से 6 का
1/120 हिस्सा होकर इसी अनुसार खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य है एवं वादीगण इसी
नुसार वादग्रस्त आराजीयात में घोषणा कराने हेतु निवेदन किया है।



सहमक कलक्टर
बीजापूर

2021
100053
541

2. वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के मोरूस स्व. श्री चेनाजी के मरणोपरान्त उनकी दाम्पत्य ही पुत्रियों प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती धापू एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 8 की माता श्रीमती रतन का नाम वादग्रस्त आराजीयात में राजस्व अभिलेख में विरामत से दर्ज चला आ रहा है एवं श्रीमती रतन की मृत्यु हो चुकी है, जिसके विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 8 हैं। वादग्रस्त आराजीयात में से प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती धापू द्वारा एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 8 की माता श्रीमती रतन द्वारा हक त्याग कर दिये जाने के बाद भी राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज होने से वादीगण को कई सारे कार्यों में भारी परेशानी रहती है, जिसमें वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को भूमि वादीगण के नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज कराने के लिए कहा गया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने इस हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए कहा, जिससे वादीगण द्वारा वाद पत्र न्यायालय में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए एवं विभाजन के लिए न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि परिशिष्ट (क) में अंकित आराजीयात में वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से का वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का, वादी संख्या 3 को 1/4 हिस्से का वादी संख्या 4 से 6 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराया जावे।
3. परिशिष्ट (ख) में अंकित आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 8 की माता श्रीमती रतन के नाम पर अंकित 1/2 हिस्से में वादी संख्या 1 को 1/8 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/8 हिस्से का वादी संख्या 3 को 1/8 हिस्से का वादी संख्या 4 से 6 को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराया जावें। परिशिष्ट (ग) में अंकित आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 8 की माता श्रीमती रतन के नाम पर अंकित 1/30 हिस्से में वादी संख्या 1 को 1/120 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/120 हिस्से का वादी संख्या 3 को 1/120 हिस्से का वादी संख्या 4 से 6 को 1/120 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराया जावें। परिशिष्ट (क) में अंकित आराजीयात का वादीगण के मध्य एवं परिशिष्ट (ख) में अंकित आराजी का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 9 के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन कराया जावे। जिसको हमने दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादी गण को नोटिस जारी हुये।
4. प्रतिवादी संख्या 1 से 9 द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का जवाबदावा पेश किया, जिसमें वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इसमें चाहे गये अनुतोष के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाने हेतु निवेदन किया गया है। वादी संख्या 2 श्री लाभचन्द पुत्र स्व. श्री चेना द्वारा प्रार्थना वादी की साक्ष्य में मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र प्रस्तुत कर शपथ ग्रहण की गई जिसे प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया।



सहायक वकील
श्रीगणेश

5. वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 जा.दी. पेश कर निवेदन किया गया कि वादी संख्या श्री 1 मोहनलाल की मृत्यु दिनांक 17.10.2021 को हो चुकी है जिसे स्वीकार किया गया एवं संशोधित शीर्षक पेश कर मोहनलाल के वारिसानों को रिकॉर्ड पर लिया गया।
6. हमने पत्रावली का अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया जिसमें मौजा खेरोदा, पटवार हल्का खेरोदा, तहसील भीण्डर में स्थित **परिशिष्ट (क)** में आराजी नम्बर 1231/1 रकबा 0 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 1231/2 00 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 1248 रकबा 12 बिस्वा, 1248 आराजी नम्बर 1251 रकबा 09 बिस्वा आराजी नम्बर 1953 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 1957 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, कुल किता 06 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा भूमि में वादी संख्या 1 श्री मोहन लाल के वारिसों पार्वती देवी पत्नि स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/28, प्रमिला पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/28, हेमलता पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/28, पुष्पा पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/28, पंकज पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/28, निर्मला पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/28, नीरज पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/28, वादी संख्या 2 श्री लामचन्द पुत्र चैना हिस्सा 1/4, वादी संख्या 3 श्री गोविन्द पुत्र चैना हिस्सा 1/4 एवं वादी संख्या 4 श्री राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री कजोडीमल हिस्सा 1/12, नरेन्द्र पुत्र स्व. श्री कजोडीमल हिस्सा 1/12 एवं श्रीमति भूरीबाई पत्नि स्व. श्री कजोडीमल हिस्सा 1/12 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। एवं

परिशिष्ट (ख) में स्थित आराजी नम्बर 456 क्षेत्रफल 04 बीघा 18 बिस्वा भूमि में वादी संख्या 1 श्री मोहन लाल के वारिसों को पार्वती देवी पत्नि स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/56, प्रमिला पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/56, हेमलता पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/56, पुष्पा पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/56, पंकज पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/56, निर्मला पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/56, नीरज पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/56, वादी संख्या 2 श्री लामचन्द पुत्र चैना हिस्सा 1/8, वादी संख्या 3 श्री गोविन्द पुत्र चैना हिस्सा 1/8 एवं वादी संख्या 4 श्री राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री कजोडीमल हिस्सा 1/24, नरेन्द्र पुत्र स्व. श्री कजोडीमल हिस्सा 1/24 एवं श्रीमति भूरीबाई पत्नि स्व. श्री कजोडीमल हिस्सा 1/24 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिशिष्ट (ग) में स्थित आराजी नम्बर 1236 क्षेत्रफल 05 बिस्वा भूमि में वादी संख्या 1 श्री मोहन लाल के वारिस पार्वती देवी पत्नि स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/840, प्रमिला पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/840, हेमलता पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/840, पुष्पा पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/840, पंकज पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/840, निर्मला पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/840, नीरज पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/840, वादी संख्या 2 श्री लामचन्द पुत्र चैना हिस्सा 1/120, वादी संख्या 3 श्री गोविन्द पुत्र चैना हिस्सा 1/120 एवं वादी संख्या 4 श्री राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री कजोडीमल हिस्सा 1/360, नरेन्द्र पुत्र स्व. श्री कजोडीमल हिस्सा 1/360 एवं श्रीमति भूरीबाई पत्नि स्व. श्री कजोडीमल हिस्सा 1/360 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः मौजा खेरोदा, पटवार हल्का खेरोदा, तहसील भीण्डर में स्थित **परिशिष्ट (क)** में आराजी नम्बर

1231/1 रकबा 0 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 1231/2 00 रकबा 10 बिस्वा, आराजी

नम्बर 1248 रकबा 12 बिस्वा, 1248 आराजी नम्बर 1251 रकबा 09 बिस्वा आराजी नम्बर



1953 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 1957 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, मुन कित

06 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा भूमि में वादी संख्या 1 श्री मोहन लाल के वारिसों पार्वती देवी पत्नि स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/28, प्रमिला पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/28, हेमलता पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/28, पुष्पा पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/28, पंकज पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/28, निर्मला पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/28, नीरज पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/28, वादी संख्या 2 श्री लाभचन्द पुत्र चैना हिस्सा 1/4, वादी संख्या 3 श्री गोविन्द पुत्र चैना हिस्सा 1/4 एवं वादी संख्या 4 श्री राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री कजोडीमल हिस्सा 1/12, नरेन्द्र पुत्र स्व. श्री कजोडीमल हिस्सा 1/12 एवं श्रीमति भूरीबाई पत्नि स्व. श्री कजोडीमल हिस्सा 1/12 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं **परिशिष्ट (ख)** में स्थित आराजी नम्बर 456 क्षेत्रफल 04

बीघा 18 बिस्वा भूमि में वादी संख्या 1 श्री मोहन लाल के वारिसों को पार्वती देवी पत्नि स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/56, प्रमिला पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/56, हेमलता पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/56, पुष्पा पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/56, पंकज पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/56, निर्मला पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/56, नीरज पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/56, वादी संख्या 2 श्री लाभचन्द पुत्र चैना हिस्सा 1/8, वादी संख्या 3 श्री गोविन्द पुत्र चैना हिस्सा 1/8 एवं वादी संख्या 4 श्री राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री कजोडीमल हिस्सा 1/24, नरेन्द्र पुत्र स्व. श्री कजोडीमल हिस्सा 1/24 एवं श्रीमति भूरीबाई पत्नि स्व. श्री कजोडीमल हिस्सा 1/24 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। **परिशिष्ट (ग)** में स्थित आराजी नम्बर 1236 क्षेत्रफल 05

बिस्वा भूमि में वादी संख्या 1 श्री मोहन लाल के वारिस पार्वती देवी पत्नि स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/840, प्रमिला पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/840, हेमलता पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/840, पुष्पा पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/840, पंकज पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/840, निर्मला पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/840, नीरज पुत्री स्व. श्री मोहनलाल हिस्सा 1/840, वादी संख्या 2 श्री लाभचन्द पुत्र चैना हिस्सा 1/120, वादी संख्या 3 श्री गोविन्द पुत्र चैना हिस्सा 1/120 एवं वादी संख्या 4 श्री राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री कजोडीमल हिस्सा 1/360, नरेन्द्र पुत्र स्व. श्री कजोडीमल हिस्सा 1/360 एवं श्रीमति भूरीबाई पत्नि स्व. श्री कजोडीमल हिस्सा 1/360 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार भीण्डर को 1000 रुपये के शुल्क पर बंटवाड़ा कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि वह बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करते समय भू-प्रबन्धन के नये राजस्व रेकर्ड के अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करे एवं विभाजन प्रस्तावित करने से पूर्व सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाड़ा प्रस्तावित किया जावे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन किया जावे। विभाजन सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस 2-2 प्रतियों में पेश किये जावे। फीस कमिश्नर वादी मौके पर अदा करे। प्रारम्भिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

8. निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली वास्ते प्राथमिक डिक्री के अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव की पालना हेतु दिनांक 26.04.2022 पेश हो।



(रमेश सीरवा) पुनाडिया RAS

सहायक कलक्टर

भीण्डर जिला-उदयपुर(राज.)

सहायक कलक्टर

भीण्डर